177

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्या:23-चिकित्सा निर्देश-2013 दिनॉक:सितम्बर 5 ,2014

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय:- सेवारत/सेवानिवृत्त पुलिस अधिकरियों/कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के संबंध में।

कृपया पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या:बारह/ए-चिकित्सा निर्देश-2011 दिनांक 08.10.2011 एवं अधिसूचना संख्या:474/पॉच-6-14-1082/87टीसी दिनांक 04.03.2014 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2014 जिसकी प्रति पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या:तेईस-चिकित्सा निर्देश-2014 दिनांक 27.03.2014 आपको प्रेषित की गयी है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 के नियम-20 को संशोधित करते हुए सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी सेवको के चिकित्सा दावो के स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रतिनिधानित अधिकार निम्नवत् संशोधित किये गये है:-

दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी
रू0 2,00,000/- तक	कार्यालयाध्यक्ष
रू0 2,00,000/- से अधिक रू0 5,00,000/- तक	विभागाध्यक्ष
रू0 5,00,000/- से अधिक रू0 10,00,000/- तक	सरकार में प्रशासकीय विभाग
रू0 10,00,000/- से अधिक	वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के पश्चात सरकार में प्रशासकीय विभाग

3- उपरोक्त नियमावली के नियम 19 के अनुसार रू0 50,000/- तक के चिकित्सा दावों को जनपद/इकाई में अवस्थित चिकित्सालयों में नियुक्त प्रभारी चिकित्साधिकारी (सरकारी डाक्टर) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जा सकता है। अत: उक्त धनराशि की सीमा तक के चिकित्सा दावों को मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रतिस्ताक्षरित कराने की आवश्यकता नहीं है।

4- इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)नियमावली-2011 एवं प्रथम संशोधन-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृतकर्ता अधिकारी को अपनी सीमा के अन्दर सेवारत पुलिस कर्मियों को चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने के अधिकार भी प्रदत्त किये गये है।

5- इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पेंशनर कल्याण संस्थान, लखनऊ की दिनांक 1.9.2014 को हुई बैठक में अवगत कराया गया है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के दावों का निस्तारण त्वरित गति से नहीं किया जा रहा है। चूँकि सेवानिवृत्त अधिकारियो/कर्मचारियोंके रू0 2,00,000 (रू0 दो लाख) तथा रू0 5,00,000/- (रू0 पॉच लाख) तक के चिकित्सा दावों के स्वीकृत करने का अधिकार कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष को अब प्रदान कर दिये गये है, अत: उक्त सीमा तक के चिकित्सा दावों का निस्तारण त्वरित गति से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

6- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

5/9/14

(डा0 सूर्य कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: श्री एस0के0 चन्द्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक(सेवानिवृत्त) सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस पेन्शनर कल्याण संस्थान, कमरा नं0 419 इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।